# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

## पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 25/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/85

**प्रार्थीगण**

1. हीराराम पुत्र सादुलराम, जाति जाट, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
2. कालुराम पुत्र प्रतापराम, जाति जाट, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
3. भंवरलाल पुत्र मगाराम, जाति मेघवाल, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा तहसील सोजत, जिला पाली
4. जीताराम पुत्र देवाराम जाति कालीराणा निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा तहसील सोजत, जिला पाली
5. प्रतापराम पुत्र देदाराम जाति जाट, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा तहसील सोजत, जिला पाली
6. मंगलाराम पुत्र सदाराम जाति मेघवाल, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा तहसील सोजत, जिला पाली
7. बुद्धा खां पुत्र रहमान खां जाति पठान मुसलमान, निवासी नया गांव ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

मृत आईदान पुत्र पेमाजी जाति कुम्हार के विधिक प्रतिनिधिगण वारिसान–

1. श्रीमति छोटीदेवी पुत्री आईदान, जाति कुम्हार, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
2. श्रीमति धापुदेवी पत्नी आईदान, जाति कुम्हार, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
3. नारायणलाल पुत्र आईदान जाति कुम्हार, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
4. प्रभुराम पुत्र आईदान जाति कुम्हार, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
5. फेफीदेवी पुत्री आईदान जाति कुम्हार, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
6. रुकमणी पुत्री आईदान जाति कुम्हार, निवासी नया गांव, ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
7. श्रीमान तहसीलदार साहब, सोजत
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सोजत
9. श्रीमान सरंपच ग्राम पंचायत चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली
10. श्रीमान पटवारी महोदय, चौपडा, तहसील सोजत, जिला पाली

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970**

उपस्थित :–

प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांकः– 27.3.2024

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 24.05.1971 के द्वारा आईदान पुत्र पेमाजी जाति कुम्हार के हक में ग्राम नयागांव ग्राम पंचायत चौपडा तहसील

अति. जिला कलक्टर, पाली

सोजत के पुराने खसरा नम्बर 1406 नये खसरा नम्बर 90/780 रकबा 18 बीघा भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण गांव नयागाव पटवार हल्का नयागाव तहसील सोजत के निवासी है। ग्राम नयागाव के पुराने खसरा नम्बर 1406 नये खसरा नम्बर 90/780 रकबा 18 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति सोजत द्वारा आईदान पुत्र पेमाजी जाति कुम्हार के पक्ष में आवंटित की गई है, लेकिन उक्त आराजी का प्रार्थीगण उपभोग उपयोग करते आ रहे है और उक्त आराजी से प्रार्थीगण के हित अधिकार प्रभावित है। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश सलाहकार समिति के परामर्श के बिना किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 2(ग) में सलाहकार समिति को परिभाषित किया जाकर सलाहकार समिति का गठन नियम 13 के अधीन किया गया है। आवंटी आईदान को जैर प्रार्थना पत्र आराजी का आवंटन भूमिहीन कृषक की श्रेणी में मानकर किया गया था, लेकिन वक्त आवंटन आईदान भूमिहीन नही था न ही खेतीहर मजदूर था। आवंटी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटी के पिता के पास भूमि होना दर्शाया गया है, जिसके सम्बध में आवंटन नियम 1970 के नियम 12 में निर्धारित क्षेत्र दर्शाया गया है जिसके अनुसार आवंटी को भूमिहीन नही माना जा सकता है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4(च)(7) में स्पष्ट रूप से आंवटन हेतु आरक्षित भूमि का उल्लेख है आईदान को जो भूमि आवंटित की गई है वह पहले से ही स्कूल, पानी की टंकी, मेला ऑफिस, पशु मेला, चबुतरा, पानी के टांका, जाट समाज के बच्चो के शमशान, मेघवाल समाज के बच्चो के शमशान, शहीद स्मारक, पशुओ के अवाला, खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि थी। जिससे स्पष्ट है कि आईदान को आवंटित भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नही थी, क्योकि जैर आवंटन आराजी जिस उपयोग हेतु रखी गई थी उसके अनुसार उनका उपयोग ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर आईदान एवं उसके वारिसानों का कभी भी कब्जा नही था न ही उन्होने कभी आंवटित आराजी का उपयोग उपभोग किया है। आवंटन नियम 1970 के नियम 5 के तहत तहसीलदार प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक सिंचित एवं असिंचित दोनो प्रकार की सरकारी भूमियों की ग्रामवार सुची प्ररूप 1 मे तैयार कर सबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो पचांयत पंचायत समिति तथा तहसील के कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी लेकिन उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार सोजत द्वारा ऐसी कोई सूची तैयार नही की गई तथा न ही निरीक्षनार्थ किसी कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। आवंटन नियम 1970 के नियम 7 में आंवटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा जारी किया जाने बाबत प्रावधान है एवं नियम 6 में यथा उपदर्शित कार्यवाही करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी भूमिहीन कृषको से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए अधिनियम की धारा 61 में दी गई रिति से प्ररूप 2 में

अति. जिला कलक्टर, पाली

उद्घोषणा जारी करेगा। लेकिन आईदान ने नियम 6 मे यथा उपदर्शित से संबधित कार्यवाही नही की न ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित किये न ही प्ररूप 2 में कोई उद्घोषणा जारी की गई। आवंटन नियम 1970 के नियम 8 के अनुसार आवेदन पत्र प्ररूप 3 में प्रस्तुत किया जायेगा। आईदान ने आवंटन के लिए प्ररूप 3 में कोई आवेदन पेश नही किया। आवदेक विवाहित कृषक हो तो आंवटन के लिये पति एवं पत्नी दोनो के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा लेकिन आईदान विवाहित होते हुये भी आवेदन पत्र अकेले के नाम से प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की प्रविष्टि आवेदन पत्रों के रजिस्टर प्ररूप 4 में नही की गयी है। नियम 10 के तहत उपखण्ड अधिकारी प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध में जांच करेगा लेकिन जैर प्रार्थना पत्र आराजी के सबंध में ऐसी किसी प्रकार की जाचं नही की गई है। नियम 12 के तहत 4 हैक्टर से ज्यादा का आवंटन नही किया जा सकता लेकिन आवंटी को 18 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई। आईदान को जो भूमि आवंटित की गई है वह आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श के बिना की गई है जो नियम 13 का उल्लघन है। नियम 14 मे आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटन के 3 वर्षो के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के साथ आवंटी गैर खातेदारी काश्तकारी करेगा एवं उक्त कालावधि में आवंटी आवंटन शर्तो की पालना करने के पश्चात आवटी खातेदार दर्ज होगा जैर प्रार्थना पत्र की आराजी के संबध में आवंटी के कब्जे काश्त में आवटित भूमि कभी नही रही न ही कभी उसका उपयोग उपभोग आवंटी या आवंटी के वारिसानों द्वारा किया गया। क्योंकि जैर आराजी आवटित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित रखी हुई जिस पर आवंटी का कभी भी कब्जा नही रहा है। जैर प्रार्थना आराजी को हाईवे के चिपती हुई बताकर आवंटित करना बताया गया है जबकि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(च) के अनुसार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य किसी पक्की या कंकरीट सडक के मध्य से 50 गज की परिधि में भूमि आवंटित नही की जा सकती है जिससे जैर आवंटन आदेश पारित करते समय उक्त नियम की अवहेना की गई है। आवंटी आईदान के पक्ष में नियम विरूद्ध आवंटित आराजी पर आईदान के विधिक वारिसान दिनांक 28.02.2021 को नाप चौप कर 25—30 मजदुरो सहित कब्जे की नियत से निर्माण कार्य करने लगे। उक्त वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं ग्राम विकास तथा ग्राम जनहितार्थ हेतु आरक्षित भूमि है जिसके संबध में उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं जिला कलेक्टर महोदय पाली को भी ज्ञापन देकर नियम विरूद्ध आईदान के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को निरस्त करवाने का निवेदन किया जा चुका है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि राजस्व अधिकारीयों ने बिना मौका देखे, कब्जे की जांच किये बिना एवं आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही किये जाने तथा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर आवंटन आदेश पारित किया है जो काबिल खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित। जिन्होने प्रकरण के संबध में पूर्व मे लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को निराधार एवं मिथ्या बताते हुए व्यक्त किया है कि आवंटी आईदान ग्राम नया गांव का मूल निवासी है जिसे आवंटन सलाहकार समिति ने जैर आराजी आंवटित की है जिसका उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रार्थीगण को नही है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थीगण नियम विरूद्ध जाकर अप्रार्थीगण के हिस्से की आवंटित आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने को उतारू है। आवंटी आईदान के फौत हो जाने के उपरान्त उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का उक्त आराजी पर हक एवं अधिकार है। आवंटी के पिता पेमाराम के नाम 08 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी। पेमाराम के 6 पुत्र व 2 पुत्रीया थी। नोशनल शेयर नियम 12 के अनुसार 4.5 बीघा से अधिक जमीन प्रत्येक के हिस्से में नहीं आती और आईदान के हिस्से में आवंटन सहित 22.5 बीघा से अधिक नही बनती। ऐसे में नोशनल शेयर के अनुसार अप्रार्थी के पक्ष में भूमिहीन से भी कम भूमि आती है और आवंटी ने भूमिहिन होने के आधार पर आवेदन पेश किया। आईदान सदभाविक कृषक थे वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण खेती से करते थे। जैर आराजी की किस्म बारानी है जो आवंटन योग्य है। आईदान को जो भूमि आवंटित की गई है उस पर किसी प्रकार स्कुल का टांका, मेला ऑफिस, पक्षीयों के नाम से चबुतरा एवं किसी समाज का श्मशान घाट नही बना होकर अप्रार्थी के पक्ष में आवंटी आराजी के माट पर बने हुए है। आईदान के विधिक वारिसान द्वारा आवटित आराजी पर कब्जा काश्त कर रहे है एंव आईदान द्वारा भी अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर कब्जा काश्त कर रहे थे। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की पालना करते हुए आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना करते हुए आवंटन आदेश पारित किया है। अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित आराजी को प्रार्थीगण हडपने की नियत से जैर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण अधिकाशं जाट समाज से है। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन के करीब 50 वर्ष बाद पेश किया है इतने समय बाद आवटन आदेश निरस्त करने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यहीन एवं निराधार होने से खारिज फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सोजत एवं आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 24.05.1971 द्वारा आईदान पुत्र पेमाजी के हक में ग्राम नयागांव ग्राम पंचायत चौपडा तहसील सोजत के पुराने खसरा नम्बर 1406 नये खसरा नम्बर 90/780 रकबा 18 बीघा भूमि का आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत पेश किया है। आवंटन के संबध में आवेदनकर्ता आईदान ने तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस पर उन्होने अपना पता नया गांव तहसील सोजत जिला पाली का निवासी अंकित किया तथा स्वयं के नाम पर कही पर भी कृषि भूमि नही होकर पिता के नाम पर गांव नयागावं चादसणी में 38 बीघा भूमि होना बताया है। साथ ही उक्त आवेदन पत्र पर पटवारी चौपडा ने रिपोर्ट करते हुये अंकित किया है कि आवदेनकर्ता के नाम खातेदारी भूमि नहीं है। आवेदनकर्ता ने सरकारी भूमि पर अतिकमण नहीं किया है और न ही पूर्व में किसी खातेदारी भूमि को बेची है तथा इनके 6 भाई है। आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन समिति के समक्ष पेश किया। जिन्होने आवंटन नियमों की पालना करते हुए आवंटी आईदान के पक्ष में जैर आराजी खसरा संख्या 1406 रकबा 18 बीघा भूमि के आंवटन आदेश दिनांक 24.05.1971 को

अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

पारित किया। आईदान को आवंटित आराजी की किस्म बारानी II है जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे नही आने से आवंटन की जा सकती है।

राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 12 अनुसार "उपबन्धित के सिवाय, आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा 4 हैक्टर से अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र, आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो, को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नहीं होगा।" "परन्तु यह भी कि किसी भी सिंचाई परियोजना के अधीन नहीं आने पर बाड़मेर, जोधपुर, चुरू, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर और जालोर जिले के क्षेत्रों में इन नियमों के अधीन आंवटित की जाने वाली भूमि का अधिकतम क्षेत्र 6 हैक्टर से अधिक नहीं होगा।" आवंटी को खसरा संख्या 1406 रकबा 18 बीघा भूमि किस्म बारानी II आंवटित की है जो नियमानुसार सही होने से विधिसम्मत है।

आवंटन की शर्तो अनुसार आवंटन गैर खातेदारी हकूक के तौर पर किया जाता है जो 10 वर्ष की समाप्ति के बाद खातेदारी का हक प्राप्त करेगा। आवंटन कमेटी द्वारा आईदान के पक्ष में जैर प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 1406 रकबा 18 बीघा भूमि के आंवटन आदेश दिनांक 24.05.1971 को पारित किया। जमाबंदी संवत 2030–2033 के अनुसार उक्त आराजी में आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया। नामान्तकरण संख्या 36 दिनांक 02.02.1983 में आवंटी को उक्त आराजी का आवंटन हुये 10 वर्ष पूर्ण हो जाने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। साथ ही आवंटि ने निर्धारित राजस्व नियम 14(2) के तहत प्रति वर्ष समय पर लगान अदा की है जो भू प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान प्रपत्र 38 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी आईदान पुत्र पेमाराम ने जैर आवटी आराजी के नये खसरा नम्बर 90/780 का लगान ग्यारह रूपये साठ पैसे जमा करवाये।

जैर आराजी से संबधित खसरा गिरदावरी का अवलोकन पर पाया गया कि आवंटी उक्त आराजी पर गेहुं, तिल, ज्वार इत्यादि फसलों की समय–समय पर खेती करता आ रहा है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जैर आवंटन आराजी पर आवंटी एवं उसके वारिसानो का कब्जा काश्त है एंव उक्त आराजी का उपयोग केवल कृषि के लिए किया जा रहा है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी का आवंटन वर्ष 1971 में तथा खातेदारी अधिकारी वर्ष 1983 में प्रदान करने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र करीब 50 वर्ष बाद प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे इतने समय बाद आवंटन आदेश निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आईदान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पटवारी हल्का एवं आवंटन कमेटी की रिपोर्ट अनुसार आवेदनकर्ता के पिता के पास 38 बीघा भूमि है तथा आवेदनकर्ता के नाम कोई खातेदारी भूमि नहीं है एवं इनके 6 भाई है। नोशनल शेयर के आधार पर आईदान को प्राप्त भूमि राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में प्रदत्त नियमों के अनुसार भूमिहीन की श्रेणी में तथा आवंटन कमेटी ने नियम 12 अनुसार आवंटन की सीमा के नियमों की पालना करते हुए आईदान को 18 बीघा भूमि के आवंटन आदेश जारी किये, जो उचित तथा सही है। साथ ही आवंटन नियमों की पालना करते हुये आवंटी को 10 वर्ष पश्चात गैर खातेदार से खातेदार

अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र करीब 50 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिसका भी कोई उचित ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 सारहीन होने से खारिज की जाती है। आवंटी आईदान के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 24.05.1971 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल आवंटन आदेश रेकर्ड शाखा को लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली